

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़

ई - नीलामी बिक्री सूचना
प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक
के अधीन अचल बंधक सम्पत्ति की बिक्री सूचना।

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) के सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण निम्नलिखित बंधक सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है। जन साधारण एवं विशेषतया ऋणीयों एवं उनके जमानतदारों को यह सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के बकाया ऋण वसूलने के लिए निम्नलिखित बंधक सम्पत्तियों की ई-नीलामी "जो जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के साथ की जा रही है।

ऋणी एवं गारंटर का नाम एवं पता	मांग सूचना की दि. बकाया राशी	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कि प्रकार कब्जा	आयोजित मूल्य अधिन घनराशि कोई बचने की राशि
ऋणी- बलवीर सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल एवं मंजू कुमारी पत्नी बलवीर सिंह, गारंटर- श्री पूरन चंद शर्मा पुत्र श्री जवाहर लाल शर्मा एवं श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा शाखा: आगरा रोड, अलीगढ़	07.10.2020 ₹ 20,94,245/- + अप्रभारित ब्याज एवं अन्य खर्चें	मकान संपत्ति स्थित मकान नं. 18/257, गाय वाला चौक, सराय पक्की, अलीगढ़, एरिया- 59.91 वर्ग मीटर, सम्पत्ति बलवीर सिंह पुत्र बनवारी लाल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- चौक, पश्चिम- अजय यादव का मकान, उत्तर- सड़क 9 फीट 3 इंच चौड़ी, दक्षिण- इंद्रेश यादव का मकान	मौलिक कब्जा	34,35,000/- 3,43,500/- 10,000/-
ऋणी- मैसर्स सांचलिया गंगी मोनोप्लाईमेंट (प्रो.- श्रीमती मंजू कुमारी पत्नी श्री बलवीर सिंह), गारंटर- श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल, श्री पूरन चंद शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा एवं श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा शाखा: आगरा रोड, अलीगढ़	27.08.2020 ₹ 20,94,245/- + अप्रभारित ब्याज एवं अन्य खर्चें	खेत नंबर 63/9, 63/7, 63/4 का भाग बरहौली फतेह खान, मुकुंदपुर बाईपास रोड के पास, परगना एवं तहसील कोल, अलीगढ़, एरिया- 384.60 वर्ग मीटर, सम्पत्ति बलवीर सिंह पुत्र बनवारी लाल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- चक रोड 24 फीट चौड़ा, पश्चिम- चुना की भूमि, उत्तर-जानकी देवी की भूमि, दक्षिण-विक्रेता की भूमि	मौलिक कब्जा	34,35,000/- 3,43,500/- 10,000/-

ई-नीलामी की दि. : 26.06.2025, समय : प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, ई एम डी जमा करने की अन्तिम तिथि दि. 25.06.2025, साय 04:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने के लिए विवरण:- खाता सं. 129900200000034 ईएमडी के लिए खाता का नाम, शाखा आईएफएससी कोड - BKID0ARYAGB या किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ खाता (129900200000034) के पक्ष में निर्गत किया गया डिमांड-ड्राफ्ट

ई- नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है

1. ई- नीलामी "जो है जहाँ है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर हमारे मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के द्वारा संचालित की जायेगी। 2. सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया, आस्तियों का विवरण सम्बन्धी दस्तावेज, ऑनलाइन ई-ऑक्शन बिड फॉर्म, घोषणा एवं अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट- <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है। सम्पर्क- राम प्रसाद शर्मा, मो. 8000023297, हेल्प लाइन नं. 9265562821/18, 079-68136842/6869, ई-मेल- support@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net & ramprasad@auctiontiger.net पर संपर्क करें।

उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता को नियम 6(2) एवं 8(6) के सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना। इसे नियम 6(2) एवं 8(6)/9(1) सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के तहत बंधककर्ता/गारंटर को नोटिस समझा जाए, उनके वर्णित ऋण के सम्बंध में उपरोक्त दिनांक को ई-नीलामी है।

दिनांक : 25.05.2025

स्थान- अलीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी